

**लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./सी/संवि./110/2010/926

भोपाल, दिनांक 31-10-10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक ए.प्र. 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद संगमर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती निर्मला द्विवेदी अध्यापक शा.क. हाईस्कूल रीठी जिला कटनी	AN6827	233804666 04	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र.2626 दि. 14.7.10	नगरपालिका परिषद पनागर जिला जबलपुर जा.क्र.420 दि. 19.7.10 शा.इत्कूट वि. पनागर	233904273 01
2	श्रीमती आराधना वर्मा अध्यापक(कला समूह) शा.पूर्व मा.शा. मट्टी जिला सतना	AV3993	231306148 03	जिला पंचायत सतना जिला --सतना जा.क्र.770-6 दिनांक 18.5.10	जिला पंचायत रीवा जिला --रीवा जा.क्र.1371दि 16.7.10 शा.हाईस्कूल सुरसा	231402666 02
3	श्रीमती नेहा विडवई अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. झिरालिया जिला उज्जैन	BE5950	232101007 02	जिला पंचायत उज्जैन जिला --उज्जैन जा.क्र.6097दि 08.6.10	जिला पंचायत इंदौर जिला --इंदौर जा.क्र.6937दि 20.7.10 शा.बा.उ.मा.वि. कम्पेल	232601777 07
4	श्रीमती कृष्णा नामदेव सहायक अध्यापक शा.मा.शा. मनकी जिला पन्ना	BM9750	231004069 02	जनपद पंचायत पवई जिला --पन्ना जा.क्र.2031दि 16.7.10	नगरपालिका परिषद मैहर जिला --सतना जा.क्र.287दि 21.7.10 शा.प्रा.शा. सनकुटा	231302241 01
5	श्रीमती सपना शर्मा सहायक अध्यापक शा. उन्नयन प्रा.वि. लसुडिया विजयसिंह जिला सीहोर	AA9310	233301231 03	जनपद पंचायत आष्टा जिला --सीहोर जा.क्र.1022दि 09.6.10	नगर पंचायत हातोद जिला --इंदौर जा.क्र.403दि 13.7.10 शा.क.प्रा.वि. हातोद	232605725 01
6	श्रीमती अंजू त्रिपाठी अध्यापक (विज्ञान) शा.पूर्व मा.वि. हर्दी जिला सीधी	BC4970	231707067 02	जिला पंचायत सीधी जिला --सीधी जा.क्र.5487दि 16.6.10	जिला पंचायत रीवा जिला --रीवा जा.क्र.1369दि 16.7.10 शा.पूर्व गा.वि. बहुती	231407038 04
7	श्रीमती भावना पाण्डेय सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. लॉन्गी जिला होंशगाबाद	AL9458	233706068 01	जनपद पंचायत पिपरिया जिला --होंशगाबाद जा.क्र.1374दि 25.6.10	नगर पंचायत पनागर जिला --जबलपुर जा.क्र.1057दि 06.7.10 शा.प्रा.शा. पिपरिया	233904038 01


*MQ*

*th*

8	श्रीमती मनीषा गढेवाल सहायक अध्यापक शा.क. आश्रम सलैया जिला बैतूल	AF2361	233507067 02	जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला - बैतूल जा.क्र.2265दि.05.7.10	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पंचमढी जिला - होंशगाबाद जा.क्र.349दि. 25.6.10 शा.क.मा.पि. पंचमढी	23370615 01
9	श्रीमती रेखा सक्सेना अध्यापक (सा विज्ञान) शा.मा.शा. आनन्दीपुरा जिला सीहोर	AA9283	233301063 01	जिला पंचायत सीहोर जिला - सीहोर जा.क्र.1629दि.28.5.10	नगरपालिका निगम, भोपाल जिला - भोपाल जा.क्र.179दि. 21.7.10 शा.मा.शा. अमरावद खुर्द	23320304 19

**संविलियन की शर्तें :-**


1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिज्ञान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकार्णियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।  
**"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"**

  
 उप संचालक 31.7.10  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा क्र./शि.क./सी/संवि./110/2010/927  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 31-7-10

1. निज सचिव, पा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
31.7.10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
7



**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्र./शि.क./संवि./ए/108/2010/928

भोपाल, दिनांक 31/7/10

:: आदेश ::

मप शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मनोहर लाल अहिरवार (विकलांग) वरि. अ (इतिहास) शा.उ.मा.वि. चाचौडा जिला गुना	AK2522	230704777 01	नगर पंचायत चाचौडा जिला गुना जा.क्र.973दि.26.7.10	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र.1439दि 22.7.10 शा.उ.मा.वि. चोंदपुर	231111666 02
2	श्रीमती कविता डवरे अध्यापक शा.उ.मा.शा. बड़ोदिया जिला शाजापुर	B17662	232204777 01	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.1857दि 19.5.10	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.7644दि 15.7.10 शा.मा.शा. रामगढ़ छटिया	232102095 02
3	श्रीमती मिनल राठौर अध्यापक(कला संकाय) शा.मा.वि. बीडसरकारी जिला शाजापुर	AZ7788	232208172 01	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.1522दि.09.4.10	नगर पंचायत भानपुरा जिला मंडसौर जा.क्र.629दि 14.7.10 शा.क.उ.मा.वि. भानपुरा	231901777 02


**संविलियन की शर्तें :-**

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित दरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।

*Pro*

8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीयद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति नानवीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्येयीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


  
31.7.10  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृष्ठा.क्र./शि.क./ए/संवि./108/2010/929

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
31.7.10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./संवि./बी/93/2010/ 946

भोपाल, दिनांक 31/7/10

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती प्रतिभा झा वरिष्ठ अध्यापक (रसायन) शा.सरस्वती उ.मा.वि. धुंधड़का जिला मन्दसौर	AG8990	2319061090 5	जिला पंचायत मन्दसौर जिला मन्दसौर जा.क्र. 1930 दि.4.6.10	जिला पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र.7239 दि.26.07.10 शा.क.उ.मा.वि. महू	232602777 03
2	श्रीमती सन्ध्या त्रिवेदी वरिष्ठ अध्यापक (गृहविज्ञान) शा.क.उ.मा.वि. पैटलावद जिला झाबुआ	BC7096	23240999902	नगर पंचायत परिषद पेटलावद जिला झाबुआ जा.क्र.1022दि.11.5.10	नगर पालिक निगम इन्दौर जा.क्र. 532 दि 20.7.10 शा. मालव क.उ.मा.वि.	2326016660 4
3	श्री शिवराज सिंह चौहान (विकलांग) सहायक अध्यापक शा. मा.शा.झोखो जिला सिंगरौली	BB9096	23500100302	जनपद पंचायत चितरंगी जिला सिंगरौली जा.क्र 1022दि. 23.4.10	जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 2134 दि.24.6.10 शा.मा.शाला कुर्वाह	2317060720 2
4	श्रीमती शैलेन्द्र राजपूत अध्यापक शा. बा.उ.मा.वि. रहटगाँव जिला हरदा	AL5814	23360277703	जिला पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क्र 5904 दि.7.7.10	नगर पालिका परिषद सीहोर जा.क्र.3035दि.29.7.10 शा.स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल	233305001 09
5	श्री सुल्तान सिंह जाटव (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.शाला देवरदा जिला टीकमगढ़	BC9531	23080104304	जनपद पंचायत बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 1782 दिनांक 23.7.10	जनपद पंचायत पहाड़गढ़ जिला मुरेना जा.क्र 1051 दिनांक 27.07.10 शा.प्रा.शा.केमरा	230207004 06

*me*

## संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
उप संचालक 31.7.10


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृ./ क्र०/ शि.क./ संवि./ बी/ 93/2010/ 947  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।




8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



उप संचालक 7-10

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



**लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश**

क्र./श.क./संवि./बी/85/2010/948

भोपाल, दिनांक 31/7/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक.		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती जयश्री सोनी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. रिछेड़ा जिला होशंगाबाद	AL9471	23370608 201	जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद जा.क्र.1307दि 18.6.10	नगर पंचायत कंटगी जिला बालाघाट जा.क्र.262दि 18.6.10 शा.प्रा.शा. अर्जुननाला	23450313 301
2	श्रीमती रूचि चौरसिया अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. जैतपुरा जिला छतरपुर	AF6075	23090226 601	जिला पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर जा.क्र.1995दि 17.6.10	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.862दि 18.6.10 शा.मा.शा. रफीकगंज	23330512 204
3	श्रीमती उमा देवी अहिरवार सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बीलाग्राम जिला सागर	AY6659	23110318 402	जनपद पंचायत शाहगढ़ जिला सागर जा.क्र.275दि 02.7.10	जनपद पंचायत टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ जा.क्र.1020दि 29.6.10 शा.नवीन प्रा.शा. गुसाईपुरा	23080510 702
4	श्रीमती झुलन राहंगडाले अध्यापक (गणित) शा.मा.वि. डोला जिला सिवनी	AE4395	23440701 702	जिला पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क्र.2150दि 22.6.10	जिला पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र.5365दि 29.6.10 शा.मा.शा. कोस्ते शा.मा.शा. थानेगांव	23450706 801
5	श्रीमती जानकी सोनी अध्यापक शा.मा.शा. कारीपाथर जिला कटनी	AN7594	23380603 801	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र.1746दि 05.6.10	नगरपालिका निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.79दि 12.7.10 शा.हाईस्कूल कजरवारा	23390266 609
6	श्रीमती रश्मि शर्मा वरि. अ. (मौ. शास्त्र) शा.उ.मा.वि. करनवास जिला राजगढ़	AU2986	23300177 709	जिला पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र.1074दि 07.7.10	नगरपालिका परिषद श्योपुर जिला श्योपुर जा.क्र.1627दि 01.7.10 शा.श्री हजारेश्वर उ.मा. वि. श्योपुर	23010977 703

संविलियन की शर्तें :-

- यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।

3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
31.7.10  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 31/7/10

पृष्ठा.क्र./शि.क./बी/संवि./85/2010/949  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
31.7.10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./संवि./ए/९६/२०१०/९५०

भोपाल, दिनांक ३१/७/१०


:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ : ४९/२००६/२०-१ दिनांक २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्राधानुसार निम्न तालिका के कालम-२ में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-५ तथा तालिका के कालम-६ में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन सस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
१	२	३	४	५	६	७
१	श्रीमती प्रमिला बाथम वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शा.उ.भा.वि.सहसराम जिला श्योपुर	BA8467	230108777 05	जिला पंचायत श्योपुर जिला श्योपुर जा.क्र.७५७२दि.१६.६.२०१०	नगर पालिका परिषद मुरैना जिला मुरैना जा.क्र. १८४८/०८.०७.१० शा.स.एम.एल.बी.क.उ.भा. वि.मुरैना	230203777 02


संविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका के कालम-६ में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-६ में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-६ में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
- तालिका के कालम-६ में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-५ में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
- तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
- संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-६ में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
- वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।



9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
उप संचालक 31/7/10  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ./ क्र०/शि.क./संवि./ए/96/2010/ 951  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 31/7/10

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक 31/7/10  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

**लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./ए/93/2010/952

भोपाल, दिनांक 31/7/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संदर्भ के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, दिव्यमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्वधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है -

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दिनेश कुमार रावत (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.प्रौ.ई.जी.एस. गोदापुरा जिला गुना	AK5243	23070930101	जनपद पंचायत राधोगढ़ जिला गुना जा.क्र.1182दि.01.7.10	जनपद पंचायत संवत्सुद्ध जिला मुरैना जा.क्र.457दि 25.6.10 शा.प्रा.शा. अटार का पुरा	23020704806
2	श्रीमती सुनीता देवी कोल सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. अमरु जिला छतरपुर	AF9711	23090414402	जनपद पंचायत गौरिहार जिला छतरपुर जा.क्र.310दि.30.4.10	जनपद पंचायत त्योंथर जिला रोवा जा.क्र.777दि 03.7.10 शा.प्रा.शा. सोनौरी	23140613903
3	श्रीमती बबीता दुबे अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. खानपुरा जिला राजगढ़	AU3633	23300214401	जिला पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र.397दि.01.4.10	नगरपालिका निगम इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.385-ए दिनांक 26.6.10 शा.रजत जयंती गाड़ी अड्डा हाईस्कूल इंदौर	23260166606
4	श्रीमती प्रतिभा शर्मा अध्यापक शा.पूर्व भा.वि. बबदी जिला सिंगरौली	BJ7622	23500101104	जिला पंचायत सिंगरौली जिला सिंगरौली जा.क्र.2634दि.03.7.10	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र.4722दि 18.5.10 शा.हाईस्कूल भेलकीखुर्द	23170666648
5	श्रीमती श्वेता जैन अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. मरखेड़ा टप्पा जिला रायसेन	AT9528	23340213603	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र.4301दि.05.7.10	नगरपालिका परिषद रहलो जिला सागर जा.क्र.355दि 11.6.09 शा.क.स.मा.वि. रहली शा.कृषि मा.शा. रहली	23111177702
6	श्रीमती किरण गौर अध्यापक (कला) शा.मा.शा. करंखेड़ी जिला विदिशा	BF6041	23310605302	जिला पंचायत विदिशा जिला विदिशा जा.क्र.3277दि 01.5.10	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र.4217दि 01.7.10 शा.मा.शा. मुरेककलौ	23340515302


*(Handwritten Signature)*

7	श्रीमती रेखा साहू अध्यापक (कला) शा.मा.शा. बण्डपिपलिया जिला मंदसौर	AQ5668	231904015 02	जिला पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र.2334दि 29.6.10	जिला पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र.3877-ए दिनांक 25.5.10 शा.मा.वि. रेवली देवली	
8	श्रीमती हेमलता अग्रवाल अध्यापक (विज्ञान) शा.नवीन मा.वि. देवहार जिला मण्डला	AQ3341	234213023 02	जिला पंचायत मण्डला जिला मण्डला जा.क्र.308दि 02.7.10	नगर पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क्र.94दि 25.6.10 शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. पाटन	233905777 01

### संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यायीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
 31-7-10  
 उप संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रं./शि.क./ए/संवि./93/2010/953

भोपाल, दिनांक 31/7/10

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पमुख सचिव, म.प्र. शरन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

31.7.10

उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्र./शि.क./संवि./बी/88/2010/ 954

भोपाल, दिनांक 31/7/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती अनुराधा मिश्रा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. निवास जिला सिंगरौली	8178	235002042 02	जनपद पंचायत देवसर जिला सिंगरौली जा.क्र.1336दि 16.7.10	नगरपालिका परिषद सीधी जिला सीधी जा.क्र.1658दि 01.7.10 शा.आदर्श पू.मा.वि. सीधी	231706008 02
2	श्रीमती शमीम बानो अध्यापक शा.मा.शा. अतवास जिला देवास	BH4285	232301202 01	नगर पंचायत सतवास जिला देवास जा.क्र.1502दि23.11.09	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.4110दि 22.7.10 शा.हाईस्कूल बैरागढ़ खुमान	233305666 09
3	कृ. रुचि सक्सेना अध्यापक शा.मा.शा. जारौली जिला विदिशा	BF3562	233103135 02	जिला पंचायत विदिशा जिला विदिशा जा.क्र.5768दि 16.7.10	नगर पंचायत सांची जिला रायसेन जा.क्र.1680दि 20.7.10 शा.क.हाईस्कूल	233107777 06
4	श्रीमती नीलम यादव वरि. अध्या. (अर्थशास्त्र) शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. पथरिया जिला दमोह	AH7058	231202777 01	नगर पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क्र.निरंकदि17.6.10	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.6404दि 03.7.10 शा.उ.मा.शा. कनाडिया	232601777 29
5	श्री कृष्णा तिवारी (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. इमलीपानी जिला बैतूल	AE5723	233505167 01	जनपद पंचायत भीमपुर जिला बैतूल जा.क्र.590-ए दिनांक 20.5.10	जनपद पंचायत हनुमना जिला रीवा जा.क्र.622दि 08.6.10 शा.प्रा.शा. मदारघुवर	231407045 01
6	श्रीमती संगीता पटेल सहायक अध्यापक शा.ई.जी.ए.शा. सरैहवा जिला सिंगरौली	BB7697	235001020 02	जनपद पंचायत चितरंगी जिला सिंगरौली जा.क्र.701दि. 25.5.10	जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा जा.क्र.405दि 18.7.10 शा.प्रा.शा. गेरुई	231402137 01
7	श्रीमती गुन्जा सोनी सहायक अध्यापक शिक्षा गारंटी शाला चर्की पहरी जिला सीधी	BC2471	231402137 02	जनपद पंचायत सिंहवाल जिला सीधी जा.क्र.1221दि.07.6.10	जनपद पंचायत चितरंगी जिला सिंगरौली जा.क्र.703दि 25.5.10 शा.ई.जी.एस. केन्द्र केशवाही पूर्व	231705047 04

8	श्री मो. इशियाज सहायक अध्यापक (विकलांग) शा.शि.गारंटी शा. कालपी जिला हरदा	BC2471	232816066 05	जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा जा.क्र.निरंकदि.05.7.10	जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान जिला सतना जा.क्र.1010दि 24.7.10 शा.ई.जी.एस. घुघुचिहाई	231307285 01
---	---	--------	-----------------	---	--	-----------------

**संविलियन की शर्तें :-**

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
31/7/10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./शि.क./बी/संवि./88/2010/955


प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।



भोपाल, दिनांक 31/7/10

5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
31/7/10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

